अर्द्ध0शा0 परिपत्र संख्याःडीजी- 58 /2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 17 ,2013

विषय- जघन्य अपराधों जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार एवं डकैती आदि से सम्बन्धित साक्षियों के पक्षद्रोही (Hostile)होने की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

क्रिमिनल अपील संख्याः 3054/2013 उमेश यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य जो मु0अ0सं0 605/2011 धारा 302/201 भादंवि थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस के विषय में है। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में वादी श्री मलखान सिंह द्वारा अपनी पुत्री रीना की दहेज के कारण की गयी हत्या को लेकर धारा 304बी/498ए भादंवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। मृतका रीना का शव नहर में पाया गया था, उसके गले पर चोट के निशान थे तथा मेडिकल परीक्षण से उसकी मृत्यु गला घोटने के फलस्वरूप होनी पायी गयी थी। विचारण के दौरान वादी सहित अधिकाशतः साक्षी पक्षद्रोही (Hostile) हो गये, परन्तु मा0 न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को धारा 304बी/498ए भादंवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बजाय धारा 302/201 भादंवि के अन्तर्गत सजा दी गयी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा उक्त अपील मा0 उच्च न्यायालय में संस्थित की गयी। मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.09.2013 में गवाहों के पक्षद्रोही (Hostile) हो जाने के सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त करते हुए गवाहों के पक्षद्रोही (Hostile) होने की रोकथाम हेतु निर्देश किये गये हैं।

2. अतः मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त निर्देशों का समावेश करते हुए जघन्य अपराधों जैसे हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार एवं डकैती आदि के अभियोगों से सम्बन्धित वादी एवं साक्षियों के पक्षद्रोही (Hostile)होने की रोकथाम हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

- उपरोक्त जघन्य अपराधों की विवेचना में वैज्ञानिक विधियों का समावेश करते हुए विवेचना शीध्रतिशीध्र निस्तारित की जाये।
- क्रिमिनल लॉ (एमेण्डमेन्ट) एक्ट (2013) मे हुए संशोधन के अनुसार बलात्कार के प्रत्येक प्रकरण में द0प्र0सं0 की धारा 161 के अन्तर्गत लिए जाने वाले पीड़िता के बयान की वीडियोग्राफी एवं 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अतः उसका अक्षरशः पालन कराया जाय।
- हत्या, दहेज हत्या, डकैती तथा अन्य जघन्य अपराधों में जहॉ पर वादी एवं गवाहों के पक्षद्रोही होने की सम्भावना हो, वहॉ पर वादी एवं गवाहों की धारा 161 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत लिये जाने वाले बयान की वीडियोग्राफी/ऑडियोग्राफी करायी जाय तथा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में कलमबन्द बयान कराया जाय ताकि वादी एवं गवाहों के पक्षद्रोही होने पर उनसे क्रास जिरह किया जा सके तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
- यदि वादी अथवा गवाहों को अभियुक्त पक्ष द्वारा डराया अथवा धमकाया जाता है तो उनको सुरक्षा प्रदान की जाये तथा अभियुक्त पक्ष के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाये।

- न्यायालय में विचारण के दौरान यदि अधिकांश गवाह पक्षद्रोही हो रहे हों तो अभियुक्त/अभियुक्तगण की जमानत निरस्त कराने की कार्यवाही की जाय, जिससे शेष गवाह पक्षद्रोही न हो सकें।
- विचारण में अधिक समय लगने पर वादी की अभिरूचि अभियुक्त को सजा दिलाने में कम हो जाती है। अतः विचारण के दौरान नियत तिथियों पर गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराया जाये, जिससे विचारण शीघ्र हो जाये और अभियुक्तगण को वादी एवं गवाहों को डराने, धमकाने एवं प्रलोभन देने का अवसर न मिले।
- विचारण हेतु उपस्थित न होने वाले तथा फरार अभियुक्तों को प्रत्येक दशा में मा0न्यायालय के समक्ष उपस्थित किये जाने हेतु कठोर व त्वरित कार्यवाही की जाये।

अतः उपरोक्त सम्बन्ध में समुचित व त्वरित विधिक कार्यवाही की जाये एवं दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(देवराज नागर) 17-10-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं,उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ0प्र0।
5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ0प्र0।